न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 2 / 259 / 2024 दायर दिनांकः– 30 / 10 / 2024
जीसीएमएस नं0:– 2024 / 588 निर्णय दिनांकः– 28 / 03 / 2025

बउनवान

1. सत्यनारायण पुत्र दौजी जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
2. लक्ष्मण पुत्र दौजी जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
3. राजेन्द्र पुत्र दौजी जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
4. राजवीर पुत्र दौजी जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर

जिला अलवर।

——— सायलान

बनाम

1. किशन पुत्र घीसी जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
2. जगराम पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
3. नारायणसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
4. बिरम पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
5. भगवानसिंह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
6. मानसिंह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
7. रामकरण पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
8. लोगा पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति जाट निवासी गारू तहसील कठूमर
9. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–श्री रामजीलाल – अधिवक्ता सायला की ओर से

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज०

श्री सुभाषचन्द अर्रूवा– अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ला0 7 की ओर से

–:आदेश:–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1666 रकवा 0.43 हे0 खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.27 हे0 2310 रकबा 0.92 हे0 2311 रकबा 0.51 हे0 2312 रकबा 0.24 हे0 खसरा नम्बर 1752 रकबा 1.05 हे0 1753 रकबा 1.02 हे0 1754 रकबा 0.99 हे0 1755 रकबा 0.83 हे0 1756 रकबा 1.04 हे0 1757 रकबा 0.90 हे0 2285 रकबा 0.16 हे0 2286 रकबा 0.30 हे0 2308 रकबा 0.29 हे0 2313 रकबा 0.35 हे0 2314 रकबा 0.35 हे0 ग्राम गारू तहसील कठूमर में स्थित है। हाल राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा सायल का गैरसायलान के साथ संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 1666 रकवा 0.43 हे0 वाके ग्राम गारू हम सायलान के बुजर्गान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसमें सायलान का पुख्ता कुआ निर्मित है तथा बोरिंग लगा रखी है तथा पाइप लाइन डाल रखी है इस प्रकार विवादित आराजी सायलान हमेशा से काविज रहकर काश्त कर रहे है उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। जव तक सायलान के पिता जीवित रहे विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते रहे तथा सायलान के बुजुर्गान के फौत हो जाने पर खसरा नम्बर 1666 पर सायलान काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है मौके पर कब्जे काश्त में है। इस खसरा नम्बर 1666 पर गैरसायलान ने एक राजस्व वाद न्यायालय श्रीमान में पेश किया जिस पर 1/4–1/4 हिस्सा के अनुसार दावा वादीगण डिक्री हो गया। खसरा नम्बर 1666 में गैरसायलान को मिली आराजी के बदले सायलान ने गैरसायलान को विवादित आराजी में से और जमीन दे रखी है। उपरोक्त विवादित आराजी का सायलान व गैरसायलान के वुजुर्गान ने स्वेच्छा व सहमति से घरेलु वंटवारा करीब 50 साल पूर्व से ही अपने अपने हक हिस्सा व सुविधा के अनुसार आपसी सहमति से कर लिया था मुताविक घरू वटवारा आराजी खसरा नम्बर 1755 रकवा 0.83 हे0 पूर्ण 1757 रकवा 0.90 हे0 का 1/3 हिस्सा रकवा 0.30 हे0 1666 रकवा 0.43 हे0 पूर्ण किता 3 रकवा 1.56 हे0 वाके ग्राम गारू

उपखण्ड अधिकारी

तहसील कठूमर सायलान के हक हिस्सा व कब्जे में आये तथा शेष आराजी गैरसायलान के हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आये। मुताविक घरू वंटवारा के अनुसार ही सायलान एंव गैरसायलान विवादित आराजी पर अपने अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त कर रहे है तथा खसरा नम्बर 1666 में सायलान के वुजुर्गान के समय का पुख्ता कुआ निर्मित बोरिंग लगा रखी है तथा पाइप लाइन डली है जो वादीगण के पुराने समय की है जिनको सायलान वुजुर्गान के समय से उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। सायलान ने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में मिली आराजी में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया व तारबन्दी व पुख्ता मेढबन्दी करली। मुताविक घरू वंटवारा सायलान का गैरसायलान की आराजी से व गैरसायलान का सायलान के हक हिस्सा व घरू वंटवारा में मिली आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायलान एंव गैरसायलान विवादित आराजी पर अपने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी पर मौके पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है उपयोग एंव उपभोग कर रहे है लेकिन अव गैरसायलान उपरोक्त घरू वंटवारे को मानने को तैयार नहीं है। गैरसायलान के मन में बेईमानी आ गयी है इस वजह से गैरसायलान ने सायलान के हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी पर कब्जा करना चाहते है। सायलान ने गैरसायलान से मुताविक हक हिस्सा व घरू वंटवारे के राजस्व रेकार्ड में अलग खाता कायम कराने को कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। गैरसायलान जबर्दस्त लडाका व झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने सायलान को खुले आम धमकी दी है कि हम पुराने वंटवारे को नहीं मानेगें तथा हम तेरे हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी पर जवरन कब्जा करेगें इस पर तुझे शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें। इस वावत गैरसायलान ने सायलान के साथ पूर्व में भी झगडा फिशाद किया था तव मुकामी पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुये दिनांक 19.07.2024 को गैरसायल रामकरण को शांति भंग के आरोप में बन्द किया था इसके वाद से ही गैरसायलान सायलान को उनके हक हिस्सा व घरू वंटवारे में मिली आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते चले आ रहे है। गैरसायलान ने यह भी धमकी दी हे कि विवादित आराजी इस समय शामलात खातेदारी में दर्ज है

इस वजह से अव हम विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। गैरसायलान मना करने पर भी नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव बर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायल सं0 1 ला0 7 ने हाजिर अदालत होकर जवबा प्रस्तुत कर सायल के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 1666 में कोई कुआ नहीं है और ना ही बोरिंग है खसरा नम्बर 1666 शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर सभी साझीदारान काविज रहकर काश्त कर रहे है। सायलान के पिता चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति थे जिन्होंने अमला सैटलमेंण्ट अधिकारी व कर्मचारियान से वेजा साज वाज होकर तन्हा अपनी खातेदारी में दर्ज करा लिया जिस गलत इन्द्राज को दुरूस्त क्राने वावत हम गैरसायलान ने वउनवान मुकदमा किशन बनाम सत्य नारायण वगैरा न्यायालय श्रीमान में पेश किया जो दावा अदालत श्रीमान द्वारा गैरसायलान के हक में दिनांक 31.06.2018 को डिक्री फरमा दिया गया। जिसके आधार पर हम गैरसायलान के नाम इन्तकाल दर्ज होकर कागजात माल में अमल हो गया। आराजी खसरा नम्बर 1666 की मालियत अधिक है जिस वजह से सायलान खसरा नम्बर 1666 पर तन्हा अपना कब्जा बता रहे है। जो गलत है। खसरा नम्बर 1666 पर सायलान व सायलान का बुजुर्गान का कभी कब्जा नहीं रहा और ना 50 साल पहले सायलान एंव गैरसायलान के मध्य कभी घरू वंटवारा हुआ। इस खसरा नम्बर पर सायलान के बुजुर्गान द्वारा कुआ बनाने बोरिंग लगाने तथा पाइप लाइन डाली होने तारबन्दी वो पुख्ता मेढबन्ती होने की कहानी गलत है। खसरा नम्बर 1755, 1666, 2314, 2310 पर तन्हा सायलान का कब्जा होने की कहानी गलत है।

उपखण्ड अधिकारी

विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी की दर्ज रिकार्ड आराजी है जिस आराजी पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 1666 आबादी के पास व काफी कीमती होने की वजह से सायलान इस पर कब्जा करने की कोशिश में है सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे। गैरसायल सं0 8–9 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 07.02.2025 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम गारू की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता सायलान ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी का अर्सा करीब 50 साल पहले सायलान एंव गैरसायलान के बुजुर्गान ने आपसी सहमति से घरू बटवारा कर लिया था मुताविक घरू वंटवारा खसरा नम्बर 1755, 1666, 1757 का 1/30 हिस्सा रकवा 0.30 हे0 2314, 2310 में से 0.50 हे0 सायलान के हक हिस्सा व कब्जे में आये। शेष आराजी गैरसायलान के हक हिस्सा व कब्जे में आई। सायलान ने खसरा नम्बर 1666 में पुख्ता कुआ निर्मित बोरिंग लगा रखी है पाइप लाइन डाल रखी है अच्छे खाद बीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है तथा अनन्य रूप से काविज है गैरसायलान घरू वंटवारे को मानने को तैयार नही है। उक्त आराजी शामलात खातेदारी में दर्ज होने की वजह से गैरसायलान सायलान के घरू वंटवारे में आई आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है व रहन वय करने पर अमादा है इस वजह से गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जावे। बहस के दौरान अधिवक्ता सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मैजरनामा, नक्शा बोरिंग, नक्शा कोठरी, नक्शा कुआ, नकल जमाबन्दी, छाया प्रति निवारक कार्यवाही, छाया प्रति रोजनामचा रिपोर्ट तथा नकल आर्डर सीट दावा वउनवान प्रभाती बनाम दौजी व नकल छाया प्रति दावा प्रभाती बनाम दौजी की छाया प्रति पेश की है जो संलग्न पत्रावली है।

अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी शामलात खातेदारी की आराजी है विवादित आराजी का कभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ। खसरा नम्बर 1666 गांव की आबादी के चपेटवां होने से काफी कीमती है। जिस पर सायलान का कब्जा नहीं है। खसरा नम्बर 1755, 1666, 2314, 2310 पर सायलान का कब्जा नहीं है उक्त आराजी शामलात खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी को सायलान के पिता ने अमला सैटलमेंण्ट से मिलकर तन्हा अपनी खातेदारी में दर्ज कराली थी जिस पर गैरसायलान ने दुरूस्ती का दावा अदालत श्रीमान में पेश किया जो दावा हमारे हक में डिक्री हुआ व उक्त आराजी हमारी खातेदारी में दर्ज हो गयी। उक्त आराजी पर सायलान का कब्जा नहीं हे। घरू वंटवारा की कहानी गलत है। घरू वंटवारा के सम्बन्ध में सायलान ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे। अधिवक्ता गैरसायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल आर्डर सीट दिनांक 19.07.2024 वउनवान सरकार बनाम रामकरण नकल निवारक कार्यवाही नकल वयान नकल रोजनामचा की छाया प्रति व विद्युत विल पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –

(1) प्रथम दृष्टा केस

(2) सुविधा का सन्तुलन

(3) ना पूर्ति होने वाली क्षति

(1) प्रथम दृष्टा केसः– सायलान का मुख्य कथन विवादित आराजी का 50 साल पूर्व सायलान एंव गैरसायलान के मध्य आपसी सहमति से घरू वंटवारा होना है ये तथ्य सायलान को सावित करने है लेकिन सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में केवल हाल जमाबन्दी पेश की है जिसमें विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। इस वावत सायलान ने एक मैजरनामा पेश किया है जो विश्वसनीय नहीं माना जा सकता जिसका लाभ सायलान को नहीं मिल

सकता। विवादित आराजी का 50 साल पूर्व घरू वंटवारा हो गया हो और घरू वंटवारे में मिले खसरा नम्बरान पर सायलान का कब्जा हेा इस तरह का सायलान ने किसी तरह का प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। जिस कारण उक्त आराजी का शामलात खातेदारी होने का अनुमान किया जाता है। प्रथम दृष्टा केस सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः सायलान प्रथम दृष्टा केस अपने पक्ष में सावित करने में असफल रहे है।

(2) सुविधा का सन्तुलनः– विवादित आराजी पर सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है जिस पर सायलान एंव गैरसायलान का शामलात खाते की होना व शामलात में काश्त करना पाया गया है। विवादित आराजी घरू तौर पर बंटी हो सायलान अपने हिस्सा की आराजी पर काविज हों इस तरह का सायलान ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। सायलान को किस तरह की असुविधा हो रही है यह सायलान ने सावित नहीं किया है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष में सावित है।

(2) सुविधा का सन्तुलनः–उपरोक्त विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। मौके पर किसी तरह का घरू वंटवारा नहीं है यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान को ना होकर गैरसायलान को होना संभव है। सायलान को ना पूर्ति होने वाली क्षति किस तरह हो रही है। यह सायलान ने सावित नहीं किया है। अतः ना पूर्ति होने वाला विन्दु भी गैरसायलान के पक्ष में प्रवल है। सायलान गैरसायलान को किसी तरह से पाबन्द कराने का अधिकार नहीं रखते है। कानूनन एक खातेदार काश्तकार को पाबन्द नहीं किया जा सकता। सायलान को किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा हो रही हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित ना होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है। अतः प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के

उपखण्ड अधिकारी

पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायलान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अपने पक्ष में सावित करने में असफल रहे है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र सावित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर